फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर

मुकेश बनाम गोपी वगै0

संख्या : 51/2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
08.05.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि पत्रावली से संबंधित मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक प्रार्थना पत्र मे जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 28.03.2022 का यथावत जारी रखना आवश्यक है। जिससे वादग्रस्त भूमि किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द नही हो सके। प्रकरण में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 28.03.2022 को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक कन्फर्म करना उचित समझते है। अतः पत्रावली में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 28.03.2022 को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक ताफैसला कन्फर्म किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूति मूल वाद के साथ हमफिता हों।	